राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1888/2014/जोधपुर

मैसर्स भारत ट्रेडर्स,
सरदारपुरा, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.आर.सिंघवी
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 23.01.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारीं ने अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत अपील संख्या 41/आरवैट/जेयूडी/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने प्रशमन के बाद प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया है, को विधिसम्मत मानते हुये उसे यथावत रखा है

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.11.2012 को अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें नियमित लेखा पुस्तकों से घोषित स्टॉक का मिलान करने पर 5% की दर से कर योग्य माल 3,60,902/– तथा 14: से कर योग्य माल रू. 85185/– का अधिक माल पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाये गये लूज पेपर्स का अंकेक्षण करने पर 14% से कर योग्य माल रु. 21345/– की अनियमित उंचन्ति पायी गई तथा अक्टूबर 2012 का नियमित कर रुपये 47614/– बकाया पाया गया। उक्त तथ्यों के होने से करापवंचन का प्रकरण होने से उपायुक्त (प्रशासन) जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3856 दिनांक 02.01.2013 द्वारा अभियोग पत्रावली निष्पादन हेतु कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेज की जांच करने पर पाई गई अनियमितताओं के कारण दिनांक 21.01.2013 को अधिनियम की धारा 22, 25, 61 व 75(8) के अंतर्गत तारीख पेशी 28.01.2013 के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में अपीलार्थी फर्म की ओर से श्री संजय बाहेती ने दिनांक

28.01.2013 को ही जवाब पेश किया, जिसमें अंकित किया कि अधिक पाये गये माल का जमा खर्च व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं है इसलिये वह अधिक पाये गये माल का सत्यापन नहीं करवा सकता है, मै अपनी भूल स्वीकार करता हूँ अतः इस प्रकरण का प्रशमन कर दिया जावे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि फर्म में रु. 21345/– उचन्ति बिक्री पाई गई और इस माल की बिक्री बिना जमा खर्च के पाई गई है इस पर शास्ति जमा कराने को तैयार हूँ तथा अक्टूबर 2012 का बकाया टैक्स भी जमा कराने को तैयार हूँ अतः इस प्रकरण का फैसला आज ही कर दिया जावें। उक्त जवाब को ध्यान में रखते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2013 पारित कर रुपये 180025/– की मांग सृजित कर दी।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2013 में संशोधन करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.09.2013 को प्रस्तुत किया जिसमें निम्न निवेदन किया गया :–

"We want to state thatr the survey of our firm was conducted by CTO Anti Evasion, Jodhpur on 05-11-2012. During the course of survey the following discrepancies were noticed :-

- 14% Taxable unaccountable sales 21345.00
- 14% Taxable unaccountable purchases 85185.00
- 5% Taxable unaccountable purchases 360902.00

In connection with a survey show cause notice was issued, reply was filed, explanation was given and the order was passed U/s 22 25 61 75(8) of RVA Act under composition dated 28-01-2013 creating a demand of Rs. 180025/- while going through the order we have observed mistakes which is stated as under :-

1- Our firm has purchased from Bharat Insulation Company (India) Ltd. vide Bill No. 121213001236 dated 10-09-2012 for Rs. 366281/- but due to oversight it couldn't be entered, through the goods before the date of survey. Hence it should be counsidered and may please be accepted.

2- That the supplier is limited company and the transaction is dated 10-09-2012 i.e. before the date of survey, therefore the purchase made by firm should be considered. copy of purchase bill is enclosed for your ready refrence.

In view of above and circumstance of the case and it is clear that the mistake is a[[arent from records and requested to kindly consider the above purchase and rectify the demand of tax and penalty imposed to the extent of this transaction of purchase made from Bharat insulation Company (India) Ltd. Silwasa."

कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2013 रेकार्ड से कोई भूल परिलक्षित होने से उसके द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को अपास्त कर आदेश दिनांक 04.03.2014 पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.03.2014 से असंतुष्ट

होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.08.2014 पारित कर प्रशमन के बाद प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने का कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने से उसे यथावत रखते हुये अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण 05.11.2012 को किया गया था। सर्वेक्षण के पश्चात् एवं वाद के निष्पादन के बाद Income Tax Audit के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा मैसर्स भारत इन्सुलेशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड दादरा नागर हवेली से जरिये बिल नं. 121213001236 दिनांक 10.09.2012 से खरीद किये गये माल रुपये 366281/– का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाना पाया गया। यह खरीद सर्वेक्षण से पूर्व तिथि की खरीद है। इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान स्टॉक में बहियात से अधिक पाये गये माल के संबंध में रही (Discrepancies) उक्त इन्द्राज नहीं होने से रही भूल को सुधारे जाने बाबत दिनांक 17.09.213 को प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र जिसके साथ अपीलार्थी द्वारा बिल, बिल्टी एवं वैट 47 की फोटो प्रति पेश की एवं खरीद genuine बिल होना बताया। उन्होनें अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को दोहराते हुये कथन किया कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया जाना अविधिक है। उन्होनें उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 05.11.2012 को करने पर वहां पर पाये गये माल एवं लूज पेपर्स का भौतिक सत्यापन नियमित लेखा पुस्तको से नहीं होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में दिनांक 28.01.2013 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार कर वाद का प्रशमन कराने का निवेदन किया है, जिसको ध्यान में रखते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.01.2013 पारित कर मांग सृजित की है। उन्होनें कथन किया कि प्रशमन का निवेदन किये जाने के पश्चात् पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 68(7) के अंतर्गत प्रशमन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। उन्होंनें कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2014 पारित किया है जो पूर्णतः विधिक है। उन्होने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई उपलब्ध रेकार्ड, विधिक प्रावधानों एवं अपीलीय स्तर पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 05.11.2012 को अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से अधिक माल पाये जाने एवं व्यवसाय स्थल पर लूज पेपर्स का अंकेक्षण किये जाने तथा कर योग्य माल की अनियमित उचन्ति बिक्री पाई गयी। सर्वेक्षण के दौरान अक्टूबर 2012 का नियमित कर रुपये 47614/– बकाया पाया गया है।

उक्त तथ्य पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने तारीख पेशी 28.01.2013 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त तारीख पेशी 28.01.2013 के लिये जारी नोटिस का जवाब अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से दिनांक 28.01.2013 को ही प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार करते हुये प्रकरण का प्रशमन करने का निवेदन किया गया। उक्त जवाब कर निर्धारण अधिकारी के पत्रावली के पृष्ठ 21 पर उपलब्ध है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"निवेदन है कि मेर फर्म का आप के विभाग के द्वारा दिनांक 05.11.2012 को सर्वे किया गया था सर्वे में जांच तथा AUDIT के बाद फर्म में 5% कर योग्य माल रुपये 360902/– का तथा 14% कर योग्य माल रुपये 85185/– का माल ज्यादा पाया गया। इस अधिक पाये गये माल का जमा खर्च मेरी फर्म की नियमित बही खातों में नहीं है। मैं इस अधिक पाये गये माल का सत्यापन नहीं करवा सकता हूँ। इस संबंध में अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। आप से निवेदन है कि इस केस का प्रशमन कर दिया जावें। मैं प्रशमन की राशि तथा TAX आज ही जमा करवाने को तैयार हूँ। अत– इसका फैसला आज ही करने की कृपा करें। फर्म में रुपये 21345/– करी 14% कर योग्य माल की बिना जमा खर्च कि बिक्री पाई गई। इस संबंध में मै आज ही कर व शास्ति जता करवाने को तैयार हूँ। फर्म का अक्टूबर 2012 का बकाया टैक्स रुपये 47614.00/– है जो मैं आज ही जमा करवाने को तैयार हूँ। अतः इसका फैसला आज ही करने की कृपा करें।"

अधिनियम की धारा 68(7) निम्न प्रकार है :– Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

विद्वान अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये वाद के प्रशमन पश्चात् सृजित जमा मांग होने के बाद अधिगृहित लूज पेपर्स प्राप्ति के उपरांत लगभग 9 माह पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 10.09.2012 का खरीद बिल नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं होने के कारण रही भौतिक सत्यापन में गलती

के लिये संशोधन चाहा है किन्तु खरीद बिल का नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।

विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद का प्रशमन कर दिये जाने के पश्चात् प्रशमन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का समावेश करते हुये निम्न निष्कर्ष दिया :–

"जहां तक अवसर प्रदान किये जाने का कथन है इस संबंध में अपीलार्थी के बिजनेस मैनेजर द्वारा सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितता में अधिक/बिना जमा खर्च के अघोषित पाये गये माल के संबंध में दस्तावेजों से सत्यापन करवाने में असमर्थता जाहिर कर प्रशमन कर वाद के निष्पादन का अनुरोध किया। प्रशमन अपील के अधिकार को छोडता है अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में कर निर्धारण अधिकारी ने कोई विधिक भूल नहीं की है, अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिसम्मत है"।

"धारा 33 में कर निर्धारण अधिकारी के रेकार्ड पर रही किसी भूल के संबंध में संशोधन का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में कर निर्धारण आदेश एवं सत्यापन रेकार्ड पर कहीं भी भूल नहीं पाई गई एवं न ही अपीलार्थी ने कर निर्धारण का "any mistake apparent from the record" तात्पर्य कर निर्धारण आदेश में रही भूल सुधार के संबंध में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 33 की परिधि से परे है"।

"प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश बिल का नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किय जाने व सर्वेक्षण के बाद भौतिक सत्यापन के दौरान भी यह तथ्य पेश नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया। इस प्रकार वाद प्रशमन द्वारा निस्तारण के 9 माह पश्चात् अपीलार्थी के स्तर पर नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राजित होने से रही भूल धार 33 में प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र इस धारा के बाहर है। सत्यापन पर भी कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का नियमित लेखा पुस्तकों में जमा खर्च नहीं होने के आधार पर वाद कायम किया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अवसर प्रदान नहीं करने का कथन विधिसम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवसर प्रदान नहीं करने की कोई विधिक भूल नहीं की है"।

"माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णय मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स, जालोर टैक्स अपडेट वोल्यूम 25 पेज 20 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि व्यवसायी की अपराध की स्वीकारोक्ति पर आरोपित शास्ति विधिसम्मत है जबकि इस प्रकरण में अपराध की स्वीकारोक्ति कर वाद का प्रशमन करने का व्यवहारी द्वारा निर्णित करने का अनुरोध अपील के अधिकार को छोडकर किया गया। अतः प्रशमन के

बाद प्रस्तुत संशोधन आवेदन अस्वीकृत किये जाने का कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है"।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों, विधिक प्रावधानों दृष्टिगत को रखते हुये अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य